

सचिका सं०-10/अति०-08-07/2017 1084/(10)


बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-856(10), दिनांक-05.09.2017 एवं आवंटनादेश संख्या-10(10)ब, दिनांक-15.09.2017 में अधोलिखित संशोधन किया जाता है:-

2. राज्यादेश की कंडिका-4 एवं आवंटनादेश की कंडिका-4 में वर्णित "इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे" के स्थान पर "इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे" पढ़ा जाय।


3. शेष यथावत रहेंगे ।

  
(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:-10/अति०-08-07/2017 1084 (10) /स्वा०, पटना, दिनांक:-29/11/2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला पदाधिकारी, सिवान/सिविल सर्जन, सिवान/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गोरियाकोठी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10/प्रशाखा के अन्य सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के विशेष सचिव ।